राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी रिट याचिका संख्या 87/2018
देवेन्द्र कुमार पारीक बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक : 05.02.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर के माथुर मय,
श्री रामित पारीक, अधिवक्ता– याची की ओर से।
श्री अलादीन खान, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर के माथुर ने निवेदन किया है कि विवादित मकान की तथाकथित डिक्री के विरूद्ध आदेश 21नियम 97 सी.पी.सी. के तहत प्रत्यर्थी परिवादी श्रीमती मंजूदेवी तथा अंजू ने इजराय न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश की थी, जो अस्वीकार कर दी गयी। जिसके विरूद्ध उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एकलपीठ दीवानी ईजराय प्रथम अपील संख्या 12/2017 पेश की, जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2017 के द्वारा निरस्त कर दी गयी। तदनुसार उसके बाद दिनांक 18.11.2017 को परिवादी सुरेश कुमार अबूसरिया जो कि एकलपीठ दीवानी ईजराय प्रथम अपील संख्या 12/2017 में अपीलार्थी संख्या–2 के रूप में था तथा ईजराय न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्ता था, ने गलत तथ्यों के आधार पर और सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारित तथ्यों को छुपाकर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 945/2017, पुलिस थाना वैशालीनगर, जिला–जयपुर तथा उसकी समस्त आनुषांगिक कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

सुना गया। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी हो।

प्रत्यर्थीगण संख्या 1लगायत 3 की ओर से अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता श्री अलादीन खान ने नोटिस प्राप्त किये।

प्रत्यर्थी संख्या–4 का नोटिस तामील हेतु पुलिस अधीक्षक, झुंझुनु को छः सप्ताह में वापिसी योग्य भेजा जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस भी जारी किये जावें।

प्रकरण छः सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक याची के विरूद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई Coercive Step नहीं लिया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/37